V-190
Cr.J.(E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE B.N.S.S.,2023

In the Court of - .....देवरी Magistrate निकीता चौहान Class...न्या.मजि0 प्रथम–श्रेणी
SUM Case No. **151 of 2026** Complaint or report made on **19-08-26 Cr No 110/2026**
Name and address of the complaint.... म0 प्र0 आबकारी वृत्त देवरी
.....म0प्र0 शासन.....बनाम **रूपसिंह लोधी**

Name,parentage,caste and address of accused

अभियुक्त का नाम – **रूपसिंह लोधी** पिता का नाम **बैजनाथ लोधी, उम्र 43** वर्ष
निवासी– सोनपुर, थाना–गौरझामर, जिला–सागर म0प्र0

The offence complained of, and date of, its alleged commission- यह कि, आपने दिनांक– 26.06.2026 को समय 03.50 पीएम बजे, स्थान–टपरा ग्राम सोनपुर, थाना गौरझामर से जो आबकारी वृत्त देवरी के अंतर्गत आता है, में आप अपने आधिपत्य में अवैध रूप से 10 पाव देशी मसाला शराब कुल कीमती 1000/–रू बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाये गये।

ऐसा करके आपने वह अपराध किया है। जो धारा–34(1)'क' आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् दंडनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है। आप दोषी होने का अभिवाक् करते हो अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ?

(निकीता चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवरी, जिला– सागर

The plea of the accused and his examination(if any) आरोपी पर अपराध की विशिष्टियां निर्मित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी अभिवाक् करता है कि,

अपराध स्वैच्छया स्वीकार है –

(निकीता चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवरी, जिला– सागर

The offence proved,if any, and in case under clause(d),clause(e),clause(f)or clause (g),of sub section(i) of Section 260 the value of the property in respect of which offeance has been committed

न्यायालय– निकीता चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी, जिला सागर म0प्र0

Sum.No- **151 /2026**

(निर्णय)

(आज दिनांक 19.08.2026 को घोषित)

1– आरोपी **रूपसिंह लोधी** को वर्णित धारा– 34(1)(क) आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् अपराध की विशिष्टियां निर्मित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने स्वेच्छयापूर्वक अपना अपराध स्वीकार किया है।

2– आरोपी द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा–34(1)(क) आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् सिद्धदोष पाते हुये, दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपी 21 वर्ष की आयु से अधिक का है, अतः उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाता है।

3– दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति को देखते हुये आरोपी को धारा–34(1)(क) आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं रूपये **1000**/– रू. **अंकन–एक हजार रूपए** के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

4– प्रकरण में जप्तशुदा 10 पाव देशी मसाला शराब विधिवत नष्ट की जावे।

स्थानः–देवरी
दिनांकः–19.08.2026

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(निकीता चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवरी, जिला– सागर

मेरे निर्देशन पर टंकित
किया गया।

NIKITA CHOUHAN
Digitally signed by NIKITA CHOUHAN
Date: 2026.08.19 19:48:09 +0530

(निकीता चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवरी, जिला– सागर